इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

शेयरधारकों हेतु नीति

(निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक ०८ अगस्त २०१३ को मीटिंग संख्या ४/२०१३ में अनुमोदित)

टिप्पणी

इस नीति में निहित कोई प्रावधान यदि किसी स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम से भेद उत्पन्न करता है तो उस दशा में लागू स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम ही प्रभावी रहेंगे।

विषय - सूची

शेयरधारकों के अधिकार 1

शेयरधारकों से न्यायसंगत व्यवहार 1

शेयरधारकों हेतु नीति

इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड ("आईवीएल") की अपने सभी शेयरधारकों के साथ समान और निष्पक्ष रूप से व्यवहार करने हेतु एक नीति है। कंपनी अपने शेयरधारकों को उनकी भागीदारी से विरत उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उन्हें नियमानुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है।

शेयरधारकों के अधिकार

कंपनी की कॉर्पोरेट प्रशासन नीति में परिभाषित शेयरधारकों के महत्व और अधिकारों के सन्दर्भ में, आईवीएल अपने शेयरधारकों को उनके मौलिक वैध अधिकारों जैसे शेयरधारकों को बैठकों में भाग लेने का अधिकार, कंपनी के वार्षिक वित्तीय कथनों को अनुमोदित करने का अधिकार, शेयरधारकों की बैठकों में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार, और निदेशकों की नियुक्ति करने अथवा हटाने के लिए मतदान करने का अधिकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की वार्षिक नियुक्ति पर वोट देने और वार्षिक लेखा परीक्षा शुल्क तय करने का अधिकार, वार्षिक लाभांश भुगतान के अनुमोदन का अधिकार, एवं अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण व्यापारिक मामलों जैसे कि पूंजी में वृद्धि / कमी, संघ के लेखों में संशोधन, संघ के ज्ञापन में संशोधन, विलय और अधिग्रहण, ऋण साधनों के जारी करने इत्यादि में वोट देने के अधिकारों को मान्यता देता है |

इंडोरामा वेंचर्स अपने शेयरधारकों को कंपनी के कारोबार के विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न पूछने और शेयरधारकों की बैठकों के दौरान अपनी राय और अनुशंसाएं देने के लिए प्रोत्साहित करती है और शेयरधारकों की बैठकों में पूछे जाने हेतु शेयरधारकों को अग्रिम रूप से प्रश्न भेजने के लिए एक सुविधा प्रदान करता है ।

शेयरधारकों के उपरोक्त मूल अधिकारों के अलावा, आईवीएल अपने शेयरधारकों को सूचनाओं के पर्याप्त, सटीक, पारदर्शी और सामयिक प्रकटीकरण पर विशेष जोर देती है।

शेयरधारकों से न्यायसंगत व्यवहार

शेयरधारकों से न्यायसंगत व्यवहार के महत्व को समझते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अधिकारों के लिए और सभी शेयरधारकों के साथ समान और उत्तम व्यवहार के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन नीति की स्थापना की है और निम्नलिखित अन्य कार्य किये जाते हैं :

1. सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आईवीएल अपने शेयरधारकों को उनकी बैठकों से पहले बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तावित मामलों की सूची प्राप्त करने, व्यापार या वित्तीय विवरणों के बारे में कोई प्रश्न करने और आम बैठक के दौरान निदेशकों के चुनाव में योग्य उम्मीदवारों के लिए प्रस्ताव पेश करने का अवसर प्रदान करती है | बैठक में चर्चा हेतु मामले और योग्य निदेशक उम्मीदवारों को प्रस्तावित करने के लिए मापदंड और प्रक्रिया शेयरधारकों को थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज की सूचना प्रसार प्रणाली और कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जाएगी।

2. आईवीएल शेयरधारकों की बैठकों को सभी के लिए सुलभ स्थान पर रखेगी और बैठकों में आसान पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।

3. आईवीएल यह सुनिश्चित करेगी कि शेयरधारकों की बैठक एक पारदर्शी और कुशल तरीके से की जाती हैं और शेयरधारकों को अपने प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त मौका और समय दिया जाता है।

4. बैठकों में शेयरधारकों को प्रदान की गयी सूची में सम्मिलित प्रस्तावों अलावा किसी अन्य प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा।

5. अगर कोई शेयरधारक किसी शेयरधारकों की बैठक में भाग लेने में व्यक्तिगत रूप से असमर्थ है तो आईवीएल उस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का विकल्प प्रदान करेगा। शेयरधारक अपना प्रतिनिधि किसी भी स्वतंत्र निदेशक या अन्य किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं जो उनकी तरफ से बैठक में भाग ले सकता है और मताधिकार का प्रयोग कर सकता है । इस संबंध में शेयरधारकों को निर्धारित प्रतिनिधि नियुक्ति प्रपत्र बाँटा जायेगा।

6. बैठक में प्रत्येक प्रस्ताव हेतु मतदान के लिए मतपत्रों का प्रयोग किया जाएगा। आईवीएल मतपत्रों की गणना इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने और बैठक के दौरान प्रत्येक प्रस्ताव के मतदान के परिणामों की घोषणा करने की व्यवस्था करेगी । मतपत्रों की गणना और परिणामों की घोषणा बैठक के प्रारंभ में नियुक्त एक स्वयंसेवक शेयरधारक और एक विधि सलाहकार के पर्यवेक्षण में की जाएगी। कंपनी सभी मतपत्रों को आगामी पांच वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षित रखेगी ।

7. कंपनी के निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को कंपनी की गुप्त सूचना के उपयोग से बचने के लिए प्रतिभूति क्रय विक्रय में गुप्त सूचना के उपयोग पर पर्यवीक्षा हेतु आईवीएल की एक गुप्त सूचना के उपयोग की एक अलग नीति है और कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि इस नीति में निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया गया है।